2016/00021

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

337/16 आनन्दीलाल बनाम नारायण दास

क्र सं	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		15/10/21 राजस्थान सरकार ... (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक ... /2021 दिनांक 03-0... पत्रावली प्रशासन ... 2021 में कैम्प मनोहरपुरा में दिनांक 30/11/2021 को पेश हो। पक्षकारो को कैम्प नोटिस जारी हो।	
	30/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प मनोहरपुरा मे पेश हुई। वादी ग्यारसी एंव प्रतिवादी नारायणदास की ओर से उनका चेला (शिष्य) विक्रमाचार्य स्वंय उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा के द्वारा की गई। उपस्थित उभय पक्षों को वादपत्र पर सुना गया। एंव उभय पक्षों के द्वारा वाद पत्र को न्यायहित मे स्वीकार किये जाने हेतु सहमति पत्र पेश कर सहमति दी गई। न्यायालय के द्वारा मजमे आम कैम्प कोर्ट मे वाद पत्र व वादपत्र पर मौजूद दस्तावेजों एंव उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र का सावधानी पूर्वक अवलोकन किये जाने एंव उभयपक्षों को वादपत्र पर सुनने के पश्चात वादीगण का [illegible] सहमति पत्र एंव शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिए जाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा 75, 77, 81, 80 ग्राम हरीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर का सीमाज्ञान खातेदार व चार परवारीयान की संयुक्त टीम गठित कर उभयपक्षों की	विक्रमकुमार शर्मा (शिष्य विक्रमाचार्य) ओर से स्वामी नारायणदास जी ललु प्रसाद शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा पंचायत समिति बस्सी (जयपुर)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2016/00021

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर ... जिला जयपुर

ओमन्दीलाल बनाम नारायण आदि

मुकदमा संख्या / वर्ष: 337 /2016

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		उपरोक्त दर्शित में किस्मा पत्रावली/नक्शा अनुसार सुनिश्चित करें। (सीमाज्ञान की कार्यवाही किये जाने पश्चात अगर वादी की भूमि में से प्रतिवादी की भूमि निकलती है तो उसे वादी छोड़ने हेतु पाबन्द होगा और यदी प्रतिवादी की भूमि में वादी की भूमि निकलती है तो उसे प्रतिवादी छोड़ने हेतु पाबन्द होगा तथा जब तक वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो जाता है तब तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बरकरार रखने हेतु पाबन्द होंगे। सीमाज्ञान होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी सीमा में पाबन्द रहेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। उक्तानुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार कालख को तहरीर जारी हो।	
		तहसीलदार कालख उक्त आदेश की पालना 15 दिवस में करवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार मिलान होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/11/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प [illegible] में सुनाया गया।	
		सहायक कलक्टर ... जिला जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास
पीठासीन अधिकारी–शिवचरण शर्मा आर०ए०एस
प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

वादी

1 आनन्दीलाल पुत्र मोरमा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
2 ग्यारसीलाल पुत्र गोमा, जाति बैरवा निवासी ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1 नारायण दास चेला गणेश दास जाति ब्राह्मण, निवासी गणेशदास जी की बगीची अखैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज।
2 तहसीलदार महोदय, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

दावा
अर्न्तधारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं० 337/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूवरू हमारे .... वादी व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूवरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 75, 77, 81, 80 ग्राम हरीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर का सीमाज्ञान दो गिरदावर व चार पटवारीयान की संयुक्त टीम गठित कर उभयपक्षों की मौजूदगी में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। सीमाज्ञान की कार्यवाही किये पश्चात अगर वादी की भूमि में प्रतिवादीगण की भूमि निकलती है तो उसे वादी छोड़ने हेतु पाबन्द होगा। और यदी प्रतिवादीगण की भूमि में वादी की भूमि निकलती है तो उसे प्रतिवादीगण छोड़ने हेतु पाबन्द होगा। तथा जब तक वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो जाता है तब तक उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द होंगे। सीमाज्ञान होने पश्चात वादी एंव प्रतिवादीगण अपनी-2 सीमा में पाबन्द रहेंगे। .... निजि ... मुवकिल......बाबत............खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..........फीसदी सालाना .... वसूलियाव तक..................को अदा करे।

आज बतारीख ... दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/11/2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.........................
ओहदा........................ सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

[illegible]	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
[illegible]			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible]			स्टाम्प वकालतनामा		
[illegible]			स्टाम्प बहस [illegible]		
[illegible]			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत इजराय हुक्मनामा			बवत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

[illegible] के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का बाद डिगरी के जरिए दिखाया [illegible]

(शिवचरण शर्मा)
सहायक कलक्टर बस्सी
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर